रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37] दिल्ली, सोमवार, मार्च 10, 2014/फाल्गुन 19, 1935 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 260
No. 37] DELHI, MONDAY, MARCH 10, 2014/PHALGUNA 19, 1935 [N.C.T.D. No. 260

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली
अधिसूचनाएं

दिल्ली, 10 मार्च, 2014

सं. 182/नियम/डी.एच.सी.– दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम 26) की धारा 7 सहपठित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उप-राज्यपाल की पूर्व अनुमति से दिल्ली उच्च न्यायालय नियम एवं आदेश, खंड iv के अध्याय 8 के वर्तमान भाग ए में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है :

संशोधन

दिल्ली उच्च न्यायालय नियम एवं आदेश खंड iv के अध्याय 8 के वर्तमान नियमों 2 एवं 3 के मध्य निम्नलिखित को नियम 2 ए के रूप में अन्तः स्थापित किए जाएगा:

2 ए आपराधिक मामलों में समन की तामील के संबंध में (ए) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत यथा उपबंधित तामिल के अन्य प्रकारों के अतिरिक्त, असंज्ञेय मामलों में अभियुक्त एवं साक्षियों को समन अनुमोदित कूरियर द्वारा भी तामील कराया जा सकता है ।

(बी) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत उपबंधित तामीलों के अन्य प्रकारों के अतिरिक्त, संज्ञेय मामलों में साक्षियों को समन पुलिस द्वारा अनुमोदित कूरियर के माध्यम से भी तामील कराया जा सकता है ।

(सी) दीवानी न्यायालयों के रूप में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा यथा अनुमोदित कूरियर अभिकरणों के माध्यम से आदेशिका की तामील को विनियमित करने वाले नियम आपराधिक मामलों में आदेशिका की तामील को भी विनियमित करेंगे ।

नोट:- यह नियम इनके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होंगे ।

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI

NOTIFICATIONS

Delhi, the 10th March, 2014

No. 182/Rules/DHC.— In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Delhi High Court Act, 1966 (Act 26 of 1966) read with Article 227 of the Constitution of India and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Delhi, with the prior approval of the Lt. Governor of the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby the following amendments in the existing Part A of Chapter 8 of High Court Rules & Orders, Volume IV:—

AMENDMENTS

THE FOLLOWING SHALL BE INSERTED AS RULES 2A BETWEEN EXISTING RULES 2 AND 3 IN PART A OF CHAPTER 8 OF HIGH COURT RULES & ORDERS, VOLUME-IV:-

2A **Regardlng service of summons in criminal cases** —(a) In addition to the other modes of service, as provided under the Code of Criminal Procedure, 1973, the summons to the accused and to the witnesses in non-cognizable cases may also be served through approved courier.

(b) In cognizable cases, summons to the witnesses may also be served by the police, through approved courier, in addition to other modes of services provided under the Code of Criminal Procedure, 1973.

(c) The rules governing the service of process through courier agencies, as approved by the High Court of Delhi, qua civil courts, shall also govern the service of processes in the criminal cases also.

Note:—This Rule shall come into force from the date of its publication in the gazette.

सं.183/नियम/डी.एच.सी.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के साथ पठित, दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 की धारा 7 (1966 का अधिनियम 26), तथा इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के पूर्व अनुमोदन से, एतद्द्वारा उच्च न्यायालय नियम एवं आदेश जिल्द iv में विद्यमान अध्याय 8, भाग-सी, के बाद निम्नलिखित नया भाग-डी अंत: स्थापित करता है :—

भाग-डी

असंज्ञेय मामलों में प्रक्रिया के प्रपत्रों को भरने हेतु

1. **प्रपत्रों को भरने हेतु पक्षकारों का विकल्प**- प्रक्रिया को जारी करने हेतु पार्टियाँ यदि चाहें तो अपने आवेदनों के साथ प्रक्रिया को जारी करने से संबंधित उसी के मुद्रित प्रपत्र को उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार विधिवत भर कर दाखिल करें । उपस्थिति और प्रक्रिया की तिथि को रिक्त छोड़ा जायेगा ।

2. **अंतर्वस्तु की शुद्धता का उत्तरदायित्व**-पक्षकार या उनके अधिवक्ता प्रपत्रों पर इस प्रकार हस्ताक्षर करेंगे जिससे नीचे कोने का बांया भाग भर जाये, और प्रपत्रों में भरी गई सूचना की शुद्धता के लिए उत्तरदायी अभिनिर्धारित समझे जायेंगे ।

3. **सुपाठ्य हस्तलेख**- प्रपत्रों को मोटे, स्पष्ट और आसानी से पढ़े जाने योग्य हस्तलेख में भरा जाये ।

4. **तिथियों को कार्यालय द्वारा भरा जायेगा**-न्यायालय द्वारा प्रक्रिया को जारी करने हेतु जब आदेश पारित किया जायेगा, उपस्थिति के लिए निर्धारित की गई तिथि प्रपत्र में भरी जाएगी और प्रक्रियाओं पर हस्ताक्षर होने से पहले प्रक्रिया की तारीख न्यायालय के कर्मचारी द्वारा दी जायेगी ।

5. **प्रपत्रों का नि:शुल्क प्रदाय**-पक्षकारों या उनके अधिवक्ताओं को आवश्यक संख्या में प्रक्रिया के मुद्रित प्रपत्र, न्यायालय के ऐसे अधिकारी को आवेदन पत्र देने पर जिसे पीठासीन न्यायाधीश निर्देश करेंगे, नि:शुल्क प्रदान किये जायेंगे ।

नोट:—यह संशोधन इसके राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे ।

न्यायालय के आदेशानुसार,
संगीता ढींगरा सहगल, महानिबंधक

No. 183/Rules/DHC.— In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Delhi High Court Act, 1966 (Act 26 of 1966) read with Article 227 of the Consitution of India and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Delhi, with the prior approval of the Lt. Governor of the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby inserts the following new Part D, after the existing Part C of Chapter 8 of High Court Rules & Orders, Volume IV:—

Part D

FILLING UP OF FORMS OF PROCESS IN NON COGNIZABLE CASES

1. Option of a party to fill up forms .—With their applications for the issue of process, parties may, if they so desire, file printed forms of the same duly filled up in accordance with the rules of the High Court regarding the issue of the process. The date of appearance and the date of the process will be left blank.

2. Responsibility for accuracy of contents .—The parties or their pleaders shall sign the forms thus filled in the left bottom corner, and will be held responsible for the accuracy of the information entered in the forms.

3. Legible handwriting .—The forms must be filled up in a bold, clear and easily legible handwriting.

4. Dates to be filled in by office .—When orders for the issue of process are passed by the Court, the date fixed for appearance will be inserted in the form and the process will be dated by an official of the Court before the processes are signed.

5. Free supply of forms .—The necessary number of printed forms of process will be supplied to the parties or their pleaders, free of cost, on application to such official of the Court as the Presiding Judge shall direct.

Note: —These amendments shall come into force from the date of their publication in the gazette.

By Order of the Court,
SANGITA DHINGRA SEHGAL, Registrar General

महिला एवं बाल विकास विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 10 मार्च, 2014

सं. फा. 61/एससी/एडी–I/डीडब्ल्यूसीडी/08/खंड–III(62)/33569–584.—किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम, 2000 (2000 का 56) की धारा 4(1) तथा धारा 66 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, कानून का उल्लघंन करने वालें किशोरों के संबंध में निष्पादन करने हेतु किशोर न्याय बोर्ड–1 को निम्नानुसार सदस्यों के साथ गठित करती हूँ।

क्रम संख्या	चेयर परसन/मेम्बर का नाम व पता	पद
1.	श्री विशाल सिंह, ई–139, चौथी मंजिल कमला नगर, दिल्ली–07	प्रधान न्यायाधीश
2.	डा. के. सी. विरमानी, ए–6, दिल्ली सरकार फ्लैट मॉडल टॉउन, दिल्ली–09	सोशल वर्कर
3.	श्रीमति शैला एम वर्गिस, 21 डी. एमआईजी, डीडीए फ्लैट, पॉकेट– IV मयूर विहार, फेस–III, नई दिल्ली	सोशल वर्कर

ये बोर्ड निर्धारित पते पर जो की किशोर न्याय बोर्ड–1, सेवा कुटीर परिसर, किंग्सवे कैंप, दिल्ली से कार्यरत रहेगा तथा सदस्य सोशल वर्कर का कार्यकाल तीन साल के लिए रहेगा यानी 28/01/2014 से 27/01/2017 तक।

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 10th March, 2014

F. No. 61/SC/AD-I/DWCD/08/Vol-III(62)/33569-584.—In exercise of the powers conferred by sub-section 4(1) read with Section 66 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000 (56 of 2000) I, Director, Women & Child Development hereby constitute Juvenile Justice Board-I consisting of the following, for exercise the powers and discharging the duties conferred or imposed on such Board, in relation to the children in conflict with law under the said Act for the National Capital Territory of Delhi.

S. No.	Name and Address of Chairperson/Members	Designation
1.	Sh. Vishal Singh, R/o E-139, 4th Floor, Kamla Nagar, Delhi-07.	Pr. Magistrate
2.	Dr. K.C. Virmani, A-6, Delhi Govt. Officers Flat, Model Town, Delhi-09. M- 9313751404	Social Worker
3.	Ms. Shaila M. Varghese, 21 D, MIG, DDA Flats, Pocket-IV, Mayur Vihar, Phase-III, New Delhi. M-9873124719	Social Worker

This Board shall function from its designated premises at Juvenile Justice Board-I, Sewa Kutir Complex, Kingsway Camp, Delhi. The tenure of the Member Social Worker shall be for the period from 28.01.2014 to 27.01.2017 i.e. for three years.

सं. फा. 61/एससी/एडी–I/डीडब्ल्यूसीडी/08/खंड–III(62)/33585–600.—किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम, 2000 (2000 का 56) की धारा 4 (1) तथा धारा 66 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, कानून का उल्लंघन करने वालें किशोरों के संबंध में निष्पादन करने हेतु किशोर न्याय बोर्ड–II को निम्नानुसार सदस्यों के साथ गठित करती हूं।

क्रम संख्या	चेयर परसन/मेम्बर का नाम व पता	पद
1.	श्रीमति सूची ललेर, 105, पहली मंजिल, कड़कड़डूमा कोर्ट कॉम्पलैक्स, दिल्ली।	प्रधान न्यायाधीश
2.	श्री विजय कुमार पाण्डे, ई–77, एसएफएस फ्लैट्स आस्था कुंज अपार्टमैन्ट, सैक्टर–18, रोहिणी, नई दिल्ली।	सोशल वरकर
3.	श्रीमति अनुपमा द्विवेदी, C/o श्री हर्शमनी त्रिपाठी, ई–65, द्वितीय मंजिल, अमर कालोनी, लाजपत नगर, दिल्ली।	सोशल वरकर

ये बोर्ड निर्धारित पते पर जो कि किशोर न्याय बोर्ड–II, विपरीत अम्बेडकर स्टेडियम, दिल्ली गेट दिल्ली, से कार्यरत रहेगा तथा सदस्य सोशल वर्कर का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन साल के लिए जोकि 03.02.2014 से मान्य होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,
सौम्या गुप्ता, निदेशक

F. No. 61/SC/AD-I/DWCD/08/Vol-III(62)/33585–600.—In exercise of the powers conferred by sub-section 4(1) read with Section 66 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000 (56 of 2000) I, Director, Women & Child Development hereby constitute Juvenile Justice Board-II consisting of the following, for exercise the powers and discharging the duties conferred or imposed on such Board, in relation to the children in conflict with law under the said Act for the National Capital Territory of Delhi.

S. No.	Name and Address of Chairperson/Members	Designation
1.	Ms. Shuchi Laler, R/o 105, Ist Floor, Karkardooma Court Complex, Delhi.	Pr. Magistrate
2.	Sh. Vijay Kumar Pandey, R/o E-77, SFS Flats, Astha Kunj Apartment, Sector-18, Rohini, New Delhi.	Social Worker
3.	Ms. Anupma Diwedi C/o Harshmani Tripathi, E-65, IInd Floor, Amar Colony, Lajpat Nagar-IV, Delhi.	Social Worker

This Board shall function from its designated premises at Juvenile Justice Board-II, Opposite Ambedkar Stadium, Delhi Gate, Delhi. The tenure of the above said Board shall be for a period of three years w.e.f. 03.02.2014.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
SAUMYA GUPTA, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.